ISSN 2278-8808 IMPACT FACTOR: 1.38
An International Peer Reviewed
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

भारत में निर्धनता का परिदृष्य अध्ययन तथा समाधान

आशुतोष मिश्रा

शोध छात्र—अर्थ शास्त्र, जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया

शोध सार

गरीबी के अभिप्राय के दो अर्थ लगाये जाते हैं। एक निरपेक्ष गरीबी तथा दूसरा सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं, जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं को जुटा पाने में असमर्थता से है तथा दूसरा सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय यह है कि आप में असमानताओं का होना। सापेक्ष गरीबी अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का बोध कराती है।

पारिभाषिक शब्द: *निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, आर्थिक असमानता, योजना आयोग*

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष:</u> आज भारत विश्व के मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है लेकिन हमारे देश के निर्धन व्यक्तियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सामान्य रूप से निर्धनता उस स्थिति का द्योतक है जिसमें व्यक्ति या समाज को आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जीवन निर्वाह के लिये अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। समाज में कुल जनसंख्या का एक भाग जीवन स्तर की न्यूनतम सीमा भी नहीं प्राप्त कर पाता है और जीवन यापन की अनिवार्यताये बहुत कठिनाई व परिश्रम के साथ भी नहीं जुटा पाता है।

भारत में गरीबी योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल "Task Force on Minium Needs and Effective Consumption Demand" के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति २४०० कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति २१०० कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी रेखा अलग—अलग राज्यों में १३९००

रूपये से १६९०० :० वार्षिक के आधार पर निर्धारित की थी। पांच सदस्यों वाले परिवार की यदि वार्षिक आय इससे कम है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जायेगा। निर्धनता रेखा के आकलन के लिये प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार मानकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ३५६.३० रुपये प्रतिमाह व शहरी क्षेत्रों के लिये ५३८. ६० रुपये निर्धारित किये गये है। अलग–अलग राज्यों के लिये यह राशियों अलग–अलग हैं।

निर्धनता रेखा के आकलन हेतु प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

क्रमांक	राज्य	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
१	झारखण्ड	३६६ण५६	४५१ण२४
२	बिहार	३५४ण३६	४३५ण००
३	असम	३८७ण६४	३७८ण८४
४	छत्तीसगढ़	३२२ण४१	५६०ण००
५	आन्ध्र प्रदेश	२९२ण९५	५४२ण८९
६	दिल्ली	४१०ण३८	६१२ण९१
७	गोवा	३६२ण२८	६६५ण९०
८	गुजरात	३५३ण९३	५४१ण१६
९	हरियाणा	४१४ण७६	५०४ण४९
१०	जम्मू कश्मीर	२९१ण२६	५५३ण७७
११	कर्नाटक	३२४ण१७	५९९ण६६
१२	केरल	४३०ण१२	५५९ण३९
१३	मध्य प्रदेश	३२७ण७८	५७०ण१५
१४	महाराष्ट	३६२ण२५	६६५ण९०
१५	उड़ीसा	३२५ण७९	५२८ण४९
१६	पंजाब	४१०ण३८	४६६ण१६
१७	राजस्थान	३७४ण५७	५५९ण६३
१८	तमिलनाडु	३५१ण८६	५४७ण४२
१९	उत्तर प्रदेश	३६५ण८४	४८३ण२६
२०	उत्तराखण्ड	४७८ण०२	६३७ण६७
२१	पश्चिम बंगाल	३८२ण८२	४४९ण३२
२२	दादरनगर हवेली	३६२ण२५	६६५ण९०
	सम्पूर्ण भारत	३५६ण३०	५३८ण६०

ग्लोबल हंगर इण्डेक्स (GHI) में भी भारत की स्थिति काफी चिन्ता जनक है क्योंकि वाशिंगटन स्थिति इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) की जारी रिपोर्ट में GHI के आधार पर ११९ विकासशील देशों में भारत को ९६ वाँ स्थान

प्रदान किया गया है। जो बहुत ही चिन्तनीय है क्योंकि पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान म्यामार, श्रीलंका तथा चीन का क्रमशः ९२वाँ, ६८वें, ६९वें, तथा ४७वें स्थान पर है। चीन के ४७वें स्थान से स्पष्ट है कि यहाँ भूख की कोई गम्भीर समस्या नहीं है।
यह सत्य है कि किसी देश का विकास होता है तो गरीबी धीरे—धीरे कम होने लगती है. राष्ट्रीय आय बढ़ने लगती है। प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा आय बढ़ती है। इस लिये कहा जाता है कि गरीबी व विकास एक—दूसरे से सम्बंधित है। यदि किसी देश की विकास दर तेज होती है तो कहा जाता है कि गरीबी धीरे—धीरे कम होती है, लेकिन इसके लिये आवश्यक है कि जनसख्या में भारी परिवर्तन हो। नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक्स रिसर्च के अनुसार एक प्रतिशत परिवार के पास राष्ट्रीय आय का १४ प्रतिशत है। जबकि ५० प्रतिशत परिवारों के पास राष्ट्रीय आय का केवल ७ प्रतिशत है।

निर्धनों की निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ५.९० करोड निर्धन आबादी के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद बिहार ३.६९ करोड़ का स्थान तथा निर्धनता अनुपात में उड़ीसा राज्य देश में ४६.४ प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान बिहार ४४.४ प्रतिशत तथा तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ ४०.९ प्रतिशत का है।

गरीबी रेखा से नीचे आबादी

(योजना आयोग का आकलन)

वर्ष	**गरीबी अनुपात (प्रतिशत में)**			**निरपेक्ष संख्या (करोड़ में)**		
	शहरी	**ग्रामीण**	**अखिल भारत**	**शहरी**	**ग्रामीण**	**अखिल भारत**
1973-74	49.0	56.4	54.9	6.0	26.13	32.13
1977-78	45.2	53.1	51.3	6.46	26.43	32.89
1983	40.8	45.7	44.5	7.09	25.20	32.29
1987-88	38.2	39.1	38.9	7.52	23.19	30.71
1993-94	32.4	37.3	36.0	7.63	24.40	32.03
1999-2000	23.6	27.1	26.1	6.71	19.32	26.03
2004-05	21.7	21.8	21.8	6.82	17.03	23.85

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (२००७—२०१२) मे देश में निर्धनता अनुपात को घटाकर १५ प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

मैने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद का सर्वे किया तो पाया कि औरैया जनपद में गरीबी को स्थिति काफी गहन है। जनपद औरैया की जनसंख्या २००१ की जनगणना के अनुसार ११७९४९६ है, जिसमें ६३५५२७ पुरुष तथा ५४३९६९ स्त्रियाँ है। जिले का जनसंख्या घनत्व १९९१ की जनगणना के अनुसार ५०१ प्रति व्यक्ति था जनपद में दो तहसीलें तथा सात विकास खण्डों में जब शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे किया तो पाया कि औरैया जनपद की गरीबी का हाल बहुत खराब है। यहाँ गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वे के अनुसार ४२ प्रतिशत के आसपास रही है। इसमें कुछ परिवार तो ऐसे भी है जो दो वक्त की रोटी को भी मुहताज है। पौष्टिक आहार की कल्पना करना उनके लिये बहुत बड़ी बात है। उनके पास कपड़े, स्वास्थ्य तथा आवास की भी बड़ी समस्या है। यह ठीक ही कहा गया है कि गरीबी कोई आर्थिक वर्ग नहीं है, गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके लिये गरीबी की समस्या का हल करने के लिये स्वयं गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा।

कारण :

भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण निर्धन लोगों की संख्या प्रचुर मात्रा में पायी जाती है गरीबी के कारणों को मुख्यत: दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम आर्थिक कारण तथा द्वितीय सामाजिक कारण आर्थिक कारण के अन्तर्गत यदि हम विचार करे तो पाते है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होने से भी हमारे देश में गरीबी को बल मिला है क्योंकि कृषि ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहती है और औद्योगीकरण के अभाव के कारण रोजगारों मे कमी पायी जाती है। जिससे भी प्रति व्यक्ति आय में कमी देखने को मिलती है। हमारे देश में पूंजी निर्माण की कमी भी देखने को मिलती है तथा आर्थिक निर्माण संरचना के अभाव के कारण भी निर्धनता में हम कमी नहीं कर पा रहे है और भारत में सबसे बड़ा कारण निर्धनता का जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि देश में राष्ट्रीय आय का वितरण बहुत ही असमान है। भारत सरकार की कर नीति देश में धन के इस असमान वितरण को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। हमारे देश में प्रति श्रमिक उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। जनसंख्या की अधिकता के कारण बेकारी तथा अर्द्ध

बेकारी भी अधिक देखने को मिलती है। हमारे देश में विशेषकर आम जरूरत की वस्तुओं की लगातार बढ़ती हुई कीमतों के कारण गरीब तथा मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ता जाता है। इन बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे खड़ा कर दिया है।

हमारे देश की गरीबी के सामाजिक कारणों पर यदि विचार करे तो देखने को मिलता है कि लोग जातिवाद, धर्मवाद और पुरानी परम्पराओं और रूढ़ियों में इस तरह जकड़े है कि वे नई परिस्थितियों को नहीं अपनाना चाहते है। हमारे देश के लोग भाग्यवादी दृष्टिकोण अहिंसा का अधिक मात्रा में प्रचलन तथा अशिक्षा व अज्ञानता के कारण हमारे देश में गरीबी को समाप्त करना बहुत ही असंभव प्रतीत हो रहा है।

निवारण

भारत में गरीबी दूर करने की सरकारी पहल की एक मुख्य विशेषता उन्मूलन कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों को विभिन्न वर्षों के दौरान इस प्रकार पुनः मूल्यांकन एवं पुर्नगठन किया जाता है। जिससे वे गरीबी दूर करने में और अधिक प्रभावी हो सके। स्वरोजगार कार्यक्रम को अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना जो अप्रैल १९९९ में लागू की गयी इससे पहले की सभी गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया। इस योजना की वित्तीय व्यवस्था केन्द्र और राज्यों द्वारा ७५:२५ में रखा गया था। वर्ष २००८—०९ के बजट में इस योजना के तहत २१५० करोड रू० का प्रावधान किया गया था। मजदूर रोजगार कार्यक्रम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसकी शुरूआत सितम्बर २००१ में की गयी। इस कार्यक्रम का खर्च भी ७५:२५ के अनुपात में केन्द्र व राज्यों के बीच रखा गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना २०००—०१ में शुरू की गयी इसमें प्राथमिक शिक्षा पेयजल स्वास्थ्य आवास ग्रामीण सड़कों को मुख्य स्थान दिया गया था। शहरी निर्धनता दूर करने के लिये स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना ०१ सितम्बर १९९७ में लागू की गयी है तथा इसके अलावा शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम से भी निर्धनता में कमी करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई गयी जिसमे ६५ वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से १८ से ६५ वर्ष तक की आयु के लोगों को

साधारण मृत्यु पर ५००० रूपये तथा दुर्घटना होने पर १०००० रूपये की राशि उसके उत्तरजीवी को दी जाती है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत १९ वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रथम दो प्रसवों में ३०० रूपये प्रति प्रसव के हिसाब से मातृत्व लाभ देने का प्रावधान इस योजना में है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य योजनायें चलाई गयी वे इस प्रकार है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा योजना, जय प्रकाश नारायण रोजगार गारण्टी योजना, हरियाली परियोजना, आश्रय बीमा योजना, खेतिहार मजदूर बीमा योजना, शिक्षा सहयोग बीमा योजना, अम्बेडकर–बाल्मीक मलिन बस्ती आवास योजना, महिला स्वाधार योजना, निर्मल भारत अभियान योजना, भारत निर्माण योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि को चलाकर गरीबी दूर करने का भरकश प्रयास सरकार ने किया और उससे कुछ सुधार भी देखने को मिले।

सरकार ने ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिये नरेगा योजना को लागू किया। इस विषय में ग्रामीण विकास मन्त्री डॉ०सी०पी० जोशी ने कहा कि नरेगा को प्रस्तावित ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जायेगा जिन्होंने प्रस्तावित एन. आर. एल. एम. के कार्यक्षेत्र में पिछले तीन से अधिक वर्षों तक नरेगा के तहत कार्य किया है। इससे ग्रामीण गरीबों की दक्षता को बढ़ाया जा सकेगा और उन्हें स्वरोजगार प्रदान किया जा सकेगा। नरेगा और एन.आर.एल.एम. के विलय तथा दक्षता विकास से ग्रामीण गरीबों की समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी और वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

अपने शोध क्षेत्र और जनपद के सहार ब्लाक का सर्वे करने से मुझे ज्ञात हुआ कि सहार ब्लाक में मनरेगा की स्थिति ठीक नहीं लगी। इस प्रकार कुछ सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्ट देने के निर्देश दिये गये और कुछ की निलम्बन कार्यवाही की बात कही गयी ज्यादातर मामले ऐसे ही देखे गये गाँववासी जो मनरेगा में मजदूरी कर रहे थे उनमें बड़ा असंतोष था और श्रमिक इधर–उधर भटकते देखे गये। देश की मनरेगा स्थिति पर गड़बड़ी देखने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दी कि मनरेगा पर नजर रखने के लिये ऐजेसी बनायी जाये।

सरकारी योजनाओं को लागू करने में काफी संकट तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जनता को शोषण तथा अव्यवस्था के बीच जूझना पड़ता है और इन सबके बावजूद हम नाउम्मीद नहीं होते हैं तभी किसी ने ठीक ही कहा है कि जलाये रखियेगा आँखों में उम्मीदों के चिराग रात लम्बी सही इसका सबेरा होगा। यदि हम सरकार की गरीब उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास योजनाओं को गम्भीरता से लागू कर दे तो गरीबी का नक्सा ही बदल जायेगा और काम को वफादारी के साथ हम सभी लोग मिलजुलकर अन्जाम दे तो परिणाम तो बहुत अच्छे आयेंगे इसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है।

सन्दर्भ सूची

कुरुक्षेत्र (अक्टूबर २००९) ''नरेगा सफलता से आगे देखने की जरूरत'' पृष्ठ सं. ३३
प्रतियोगिता दर्पण (२००७—०८) (अतिक्तिांक—भारतीय अर्थव्यवस्था)
''भारत में गरीबी'' पृष्ठसञ ४९
प्रतियोगिता दर्पण (२००९—१०) (अतिरिक्तांक— भारतीय अर्थव्यवस्था)
''भारत में बेरोजगारी का स्वरूप'' पृष्ठ ६४—६५
''भारत में निर्धनता'' पृष्ठ ६५—६६
एस०बी०पी०सी० पब्लिशिंग हाउस — भारत में निर्धनता या गरीबी
(डॉ. वी.सी. सिन्हा एवं डॉ. पुष्पा सिन्हा) पृष्ठ सं. २५४—२६०
अमर उजाला २८ अगस्त २०१०— मनरेगा में गड़बड़ी पर कोर्ट गंभीर, पृष्ठ सं. ०१